



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-09012025-260080
CG-TL-E-09012025-260080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]
No. 20]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
हैदराबाद, 1 जनवरी, 2025

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/210/2025—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंडों (जेडबी) और (जेडडी) के साथ पठित धारा 101बी की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति से साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2025 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य:

इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य पुनर्बीमा सलाहकार समिति के संचालन की कार्यकुशलता को बढ़ाना है।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019 में :

- (1) विनियम 5 में,

- (क) शीर्षक को - त्यागपत्र, पद से बरखास्तगी और आकस्मिक रिक्तियों को भरना - से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :
- 1क. प्राधिकरण पुनर्बीमा सलाहकार समिति के किसी सदस्य को हटा सकता है जो-
- (क) दिवालिया है, अथवा किसी भी समय दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; अथवा
- (ख) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम बन गया है; अथवा
- (ग) किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध है अथवा दोषसिद्ध किया गया है जो प्राधिकरण की राय में अनैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध है; अथवा
- (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किया है जो एक सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है; अथवा
- (ङ) अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है जिससे सदस्य के रूप में उसका जारी रहना लोकहित के लिए हानिकारक है।
- (च) प्राधिकरण की राय में, समिति के सदस्य के रूप में रहने के लिए योग्य नहीं है।
- (छ) किसी उचित या पर्याप्त कारण के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होना बंद किया है।
- (2) विनियम 6 में,
- (क) वर्तमान उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
- (1) समिति की बैठक: समिति की बैठक आवश्यक समझे गये रूप में बारंबारता के साथ, भारत के अंदर ऐसे स्थानों पर, ऐसी पद्धति से और ऐसे समय आयोजित की जा सकती है जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा निर्णय किया जाएगा।

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./876/2024-25]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, 1st January 2025

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee)
(Amendment) Regulations, 2025**

F.No. IRDAI/Reg/3/210/2025. — In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 101B, read with clauses (zb) and (zd) of sub section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019, namely:

1. Short title, and commencement:

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Objective:

The objective of these amendment regulations is to enhance efficiency of the conduct of the Re-insurance advisory Committee.

3. In Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019:**(1) In regulation 5,**

- (a) Heading shall be substituted with Resignation, removal from office and filling of casual vacancies.
- (b) After sub regulation (1), the following sub regulation shall be inserted, namely:

1A. The Authority may remove any member of the Re-insurance Advisory Committee who-

- (a) is, or at any time has been, adjudged as an insolvent; or
- (b) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
- (c) is or has been convicted of any offence which, in the opinion of the Authority, involves moral turpitude; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuation as member detrimental to the public Interest.
- (f) in the opinion of the Authority, is not fit to remain as a member of the Committee.
- (g) has ceased to attend consecutively three meetings of the Committees without just and sufficient cause.

(2) In regulation 6,

- (a)** For the existing sub regulation (1) the following sub regulation shall be substituted, namely

(1) Meeting of the Committee: The Committee may meet as often as considered necessary, at such places within India, by such mode and at such time as may be decided by the Chairman.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./876/2024-25]